

सेवा में,
श्रीमान् निदेशक / जन सूचना अधिकारी,
राष्ट्रीय शर्करा संस्था कल्यानपुर कानपुर

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना दिलाये जाने के सम्बन्ध में:-

महोदय,
विनम्र निवेदन है कि प्रार्थी राजीव दूबे सुत श्री ध्यानचन्द्र दूबे नि.ग्रा. गोपीनाथा
पुर पो. बरुआ जिला- सुलतानपुर का स्थाई निवासी है। प्रार्थी को सूचना का अधिकार
अधिनियम 2005 के तहत निम्नविन्दुओं पर सूचना दिलाये जाने की कृपा करे।

- 1:- अच्छेलाल मजदूर के सम्बन्ध में किन्नागीय जाँच कितने दिनों में पूरी कर ली जायेगी।
- 2:- जाँच के दौरान क्या अच्छेलाल मजदूर को बी.आर.एस. दिया जा सकता है। यदि हाँ तो कारण सहित स्पष्ट करने का कष्ट करे।
- 3:- अच्छेलाल के विरुद्ध जाँच किसी अधिकारी द्वारा किसी तिथि को दिया गया था। उस अधिकारी द्वारा दिये गये जाँच आदेश कि प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करे।
- 4:- क्या किन्नाग द्वारा अच्छेलाल मजदूर को बी.आर.एस. दे दिया गया है।
- 5:- किसी व्यक्ति के विरुद्ध किन्नागीय जाँच के आदेश के बाद कितने दिनों में कार्यवाही करने का शासनादेश है। उस शासनादेश कि प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करे।

सूचना प्राप्त करने के लिए
आवश्यक पोस्टल आर्डर स.

246580998 Rs.20

प्रार्थी Rajeev Dabey

राजीव दूबे सुत ध्यानचन्द्र दूबे
ग्राम-गोपीनाथापुर पो. बरुआ

पर.वाँदा तह. लम्भुआ जिला-सुलतानपुर

दि. 07/06/17 ई.

श्रीमान् निदेशक
16/6

Rajeev



सं.- 25(52)/2016/RTI/9

राष्ट्रीय शर्करा संस्थान

आई.एस.ओ. 9001:2015 प्रमाणित संस्थान
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग
भारत सरकार

फोन- 2570541, 542
फैक्स- 0512-2570247

कानपुर, दिनांक- 10.7.2017

सेवामें,

श्री राजीव दुबे सुत श्री ध्यानचंद्र दुबे,
निवासी ग्राम- गोपीनाथपुर,
पो.आ.- बरूआ उत्तरी,
जनपद- सुल्तानपुर (उ.प्र.)

जारी

संख्या - 768

दिनांक - 11/7/17

विषय- जनसूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत श्री राजीव दुबे द्वारा मांगी गई सूचना के संबंध में।
महोदय,

जनसूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत आपके आवेदन दिनांकित 07.6.2017, जो संस्थान में दिनांक 16.6.2017 को प्राप्त हुआ है, जिसमें आपके द्वारा उठाये गए बिंदु संख्या 1, 2, 3 एवं 5 के सम्बन्ध में आपको सूचित किया जाता है कि जनसूचना अधिकारी का यह कर्तव्य नहीं होता है कि ऐसी जानकारी प्राप्त करे जिससे कि निष्कर्ष एवं अनुमान निकालने की धारणा बनाने की अथवा सूचना की विवेचना करने की अथवा काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर देने की आवश्यकता होगी।

इसी प्रकार बिंदु संख्या 4 के सम्बन्ध में पुनः सूचित किया जाता है कि अच्छे लाल मजदूर को संस्थान द्वारा वी. आर. एस. अभी तक नहीं दिया गया है।

आपको यह भी सूचित किया जाता है कि यदि आप उपरोक्त दी गई सूचना से संतुष्ट नहीं हैं तो ऐसी स्थिति में आप इस पत्र के जारी करने से 30 दिन के भीतर प्रथम अपीलीय अधिकारी को निम्नलिखित पते पर अपील कर सकते हैं -

श्री नरेन्द्र मोहन,
निदेशक एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी,
राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, भारत सरकार,
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय,
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, कानपुर- 208017

भवदीय

10/7/17
(जितेंद्र सिंह)

स. आ. श. प्रौ.,
वरि. प्रशा. अधिकारी एवं
केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी

o/c